न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–206 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
विलाल खॉ पूत्र बच्चू खां जाति मुसलमान निवासी भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2 पैरोकार सरकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 24.01.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा खेत खसरा नम्बर 953 / 639 क्षेत्रफल 1.5128 किस्म बारानी दोयम, 961 / 639 क्षेत्रफल 5.5417 किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 7.0545 हेक्टर मौजा भूका वगतसिंह पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह भू –अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूका वगतसिंह, तहसील सिंणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम विलाल खां के स्थान पर उक्त खातेदारी के खेत में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से मोहमद गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर मोहमद के स्थान पर विलाल खां दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:25 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया उसकी खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 953/639 क्षेत्रफल 1.5128 किस्म बारानी दोयम, 961/639 क्षेत्रफल 5.5417 किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 7.0545 हेक्टर मौजा भूका वगतसिंह तहसील सिंणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। कि उक्त खेतों में प्रार्थी का वास्तविक नाम विलाल खां के स्थान पर राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से मोहमद गलत नाम दर्ज हो रखा है। जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे और कथन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहमद न होकर विलाल खां है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज मोहमद के स्थान पर विलाल खां दुरुस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि खेत खसरा नम्बर 953/639 क्षेत्रफल 1.5128 किस्म बारानी दोयम, 961/639 क्षेत्रफल 5.5417 किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 7.0545 हेक्टर मौजा भूका वगतसिंह पटवार मण्डल भूका वगतसिंह भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूका वगतसिंह, तहसील सिंणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम विलाल खां के स्थान पर राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से मोहमद गलत नाम दर्ज हो रखा है, क्योकि प्रार्थी का वास्तविक नाम विलाल खां है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिसका प्रार्थी दोषी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी सही नाम विलाल खां करवानें का हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम विलाल खां है। एवं पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड प्रति, वोटरकार्ड [illegible] परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति तथा पाठशाला प्रवेशानुज्ञा प्रति में प्रार्थी का नाम विलाल खां अंकित है, उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम मोहमद इन्द्राज हो रखा है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:25 IST
Reason: SelfAttested

जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बिलाल खां है। जो प्रार्थी विवादित भूमि में मोहमद के स्थान पर बिलाल खां दुरूस्ती करवाने के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 953/639 क्षेत्रफल 1.5128 किस्म बारानी दोयम, 961/639 क्षेत्रफल 5.5417 किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 7.0545 हेक्टर मौजा भूका बगतसिंह पटवार मण्डल भूका बगतसिंह भू –अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूका बगतसिंह, तहसील सिंणधरी जिला बालोतरा में **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि मोहमद के स्थान पर बिलाल खां दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:25 IST
Reason: SelfAttested